

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

निविदा सूचना

क्र./वाहन/न.नि./2022/78

भिलाई, दिनांक 05/05/2022

आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई की ओर एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से लोक निर्माण विभाग के भवन/सड़क एस.ओ.आर दिनांक 01/01/2015 एवं इलेक्ट्रिकल एस.ओ.आर. 01/06/2020 से लागू तथा नान एस.ओ.आर. पर एवं अद्यतन संशोधन के आधार पर कम/अधिक पर निम्नलिखित कार्य हेतु मुहरबंद निविदा स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन नियत तिथि को सायं 5.30 बजे तक इस कार्यालय में आवेदन के साथ निर्धारित राशि नगद जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

1. निविदा जारी करने की तिथि – दिनांक 05/05/2022


3. निविदा प्राप्ति की तिथि – दिनांक 26/05/2022 सायं 5.30 बजे तक

2. आवेदन की अंतिम तिथि – दिनांक 18/05/2022 सायं 5.30 बजे तक

4. निविदा खोले जाने की तिथि – दिनांक 27/05/2022

| क्र. | कार्य का नाम | निविदा लागत (लाख) | धरोहर राशि | निविदा प्रपत्र का मल्य | समयावधि | फार्म |
|------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|---------------------------|---------|-----------|
| 1 | वाहन शाखा परिसर में सम्पेल निर्माण एवं सबमर्सिबल पंप स्थापना का कार्य | 1.83 | 2,000.00 | 300.00 | 45 दिन | फार्म – ए |

नियम एवं शर्तेः – (1) सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। (2) निविदा स्पीड पोस्ट अथवा राजिस्टर्ड डाक से वाहन शाखा, भिलाई नगर रेलवे स्टेशन के पास, कोसा नगर, भिलाई 490020 में स्वीकार किये जावेगे। (3) धरोहर राशि एक.डी.आर. के रूप में कार्यपालन अभियंता, नगर पालिक निगम, भिलाई एवं संबंधित एजेंसी/संधारणकर्ता के नाम से किसी शास्त्रिक बैंक से जारी/ जमा करना होगा तथा जीवित ठेकेदारी ई-पंजीयन,जी.एस.टी. प्रमाण पत्र एवं पेनकार्ड/आयकर प्रमाण पत्र, जीवित साल्वेसी समस्त प्रमाण पत्र की स्व हस्ताक्षरित छायाप्रति एवं नोटरी से जारी (100/-रु.) का शपथ पत्र की मूलप्रति लिफाफा "क" में प्रस्तुत करना है एवं निविदा प्रपत्र दर सहित लिफाफा "ख" में प्रस्तुत करना होगा। (4) कर्मसुकर कल्याण उपकर अधिनियम लागू होगी। (5) सम्पूर्ण निविदा अथवा न करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा। (6) नगर निगम के वाहनों से निर्माण कार्य हेतु पानी लेने पर देयक से 1% की राशि की कटौती की जावेगी किन्तु निगम वाहन उपलब्ध कराने हेतु बाध्य नहीं रहेगा। निगम क्षेत्र के स्त्रोतों से स्वयं के वाहन से पानी लेने पर 0.5% की राशि की कटौती की जावेगी। (7) सफल निविदाकार की निविदा दर निविदा राशि के 90% से कम होने की स्थिति में अंतर की राशि के समतुल्य फरकारमेस गारंटी के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक का एक.डी.आर., पोस्ट ऑफिस टाईम डिपाजिट, एन.एस.सी. जो कि कार्यपालन अभियंता, नगर पालिक निगम भिलाई एवं एजेंसी के नाम से देय होगा, मांग की तिथि से 15 दिनों की समयावधि में जमा करना अनिवार्य होगा, समयावधि में जमा न कराने की दशा में निविदा ख्वयमेव निरस्त की जावेगी एवं जमा धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी। (8) शासन के निर्देशानुसार श्रमिकों से संबंधित कार्यों हेतु श्रमिकों का नियमानुसार पी.एफ. कटौती किया जाना तथा बैंकों में खाता खोलकर सीधे उनके बैंक खातों में श्रमायुक्त द्वारा स्वीकृत दरों के अनुरूप प्रतिमाह राशि जमा कराया जाना है। (9) प्रस्तुत दस्तावेज असत्य पाये जोन पर पंजीयन निरस्त कर, काली सूची में दर्ज करने की कार्यवाही की जावेगी। (10) यदि निगम द्वारा निर्धारित निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि निविदा खोलने की तिथि को किसी अपरिहार्य कारणवश अवकाश घोषित होता है तो ऐसी स्थिति में अंतिम तिथि/खोलने की तिथि आगामी कार्य दिवस को माना जावेगा। (11) किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगर पालिक निगम भिलाई का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। (12) निविदा से वंचित किये गये ठेकेदारों/एजेंसियों की निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। (13) कार्य प्रारंभ करने के पूर्व कार्य स्थल/कार्य का तथा कार्य के पश्चात् कार्य का फोटोग्राफस देयक के साथ प्रस्तुत करने की जवाबदारी संबंधित ठेकेदार की होगी। (14) अन्य नियम शर्तों एवं मापदण्ड की जानकारी कार्यपालन अभियंता (वाहन) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्राप्त की जा सकती है साथ ही यह जानकारी नगर पालिक निगम भिलाई की बेबसाईट www.bhilainagarnigam.com संचालनालय की बेबसाईट www.uad.cg.gov.com एवं चिप्स की बेबसाईट eproc.cgstate.gov.in से देखी जा सकती है।


 कार्यपालन अभियंता
 नगर पालिक निगम,
 भिलाई